क्रम-संख्या—185

रजि० नं० एल. डब्लू. / एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 अगस्त, 2005
श्रावण 14, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 983 / सात–वि-1-1(क) / 22-2005
लखनऊ, 05 अगस्त, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 04 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2005)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की, धारा 4 में,– राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996 की धारा 4 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा और द्वितीय परन्तुक में शब्द 'परन्तु यह और कि' के स्थान पर शब्द 'परन्तु यह कि' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारायें (1-क) और (1-ख) निकाल दी जायेंगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 4 में आयोग के गठन और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि की व्यवस्था है। उक्त धारा के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा। सामाजिक पृष्ठभूमि के दीर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने के लिए आयु सीमा से सम्बन्धित उपबन्ध को निकालने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।